



# राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर  
(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)  
Email: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, website: www.rlsa.gov.in

क्रमांक: एफ 9(223)/रालसा/स्टोर/2024-25/4750

दिनांक: 04.06.24

## कोटेशन के लिए अनुरोध- 05/2024-25

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा कार्यालय उपयोग हेतु चाय-काफी मशीन क्रय किए जान के क्रम में इस क्षेत्र में कार्यरत अधिकृत/रजिस्टर्ड फर्मों/संवेदकों से निम्नानुसार कोटेशन बंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती है:-

क्र. स.	सामग्री का नाम	विवरण	मात्रा	अनुमानित व्यय राशि रु.
1.	Tea-Coffee Vending Machine Name-Godrej (Eco-Star)	1. Boiler Capacity- 1.75 Ltr 2. Containers Capacity – 1.7 Ltr 3. No. of Product Containers – 2 4. No. of Mixers – 2 5. Heater Rating – 1.6 Kw 6. Counter- Permanent Count For Each Flavour 7. Power Supply – 230V/ 50Hz/ 15A 8. Operating Voltage Range – 170V to 280V 9. Power Consumption – 1.8 KW 10. Intial Startup Time – 8 min 11. Cup Volume – 90 ml 12. Dispensing Rate – 4 Cups/min 13. Water Connection – Inverted Bottled Water 14. Beverage Variant – 2 Beverage 15. Hot / Cold Water – Hot Water (Through Mixer) 16. Interface – Keypad, Direct Select 17. Product and Temperature Setting – On-Board Programming 18. Warranty – Onsite As Per OEM	01	15,000/-

कोटेशन दिनांक 10.06.2024 को दोपहर 11.00 बजे तक स्वीकार की जाएंगी, इसके पश्चात् प्राप्त कोटेशनों पर विचार नहीं किया जावेगा। निर्धारित समय तक प्राप्त कोटेशनों को उसी तिथि को दोपहर 12:00 बजे अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय चैम्बर में विभागीय क्रय समिति एवं उपस्थित कोटेशनदाताओं के समक्ष खोली जाएंगी।

### कोटेशन की शर्तें:-

- कोटेशन दाताओं को इन शर्तों को सवाधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी कोटेशन भेजते समय इनका पूर्णरूपेण ध्यान रखते हुए प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करें।
- कोटेशन बंद लिफाफे में भेजी जानी चाहिए।
- राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के अलावा अन्य कोई भी शर्तें स्वीकार नहीं होंगी।

4. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को बिना कारण बताये कोटेशन के लिए अनुरोध किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार होगा।
5. कोटेशन की दरें शब्दों एवं अंकों, दोनों में बिना कांट-छांट स्पष्ट रूप में अंकित होनी चाहिए। शब्दों एवं अंकों में राशि में अंतर होने पर शब्दों में अंकित राशि सही मानी जावेगी।
6. कोटेशन में प्रेषित दरों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का टैक्स देय हो तो कोटेशन में अलग से अंकित करें।
7. निविदा के साथ अधिकृत व्यवसायी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. आयकर व जी.एस.टी. यदि लागू होगा तो नियमानुसार बिल में से कटौती की जावेगी।
9. निविदा प्रपत्र के साथ जी.एस.टी पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न होना चाहिए।
10. आपूर्तिकर्ता को उक्त सामग्री निर्देशानुसार राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर में कार्यादेश जारी होने के 5 कार्य दिवस में सप्लाई कर कार्यालय में संस्थापित करनी होगी।
11. सामग्री उच्च क्वालिटी की एवं **Specification** के अनुसार ही होनी चाहिए।
12. निविदादाता को सामग्री संस्थान में ही उपलब्ध करवाकर उक्त मशीन को स्थापित करना होगा, जिसका विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त चार्ज देय नहीं होगा।
13. अन्य किसी भी प्रकार का लोडिंग/अनलोडिंग/इंस्टालेशन चार्ज विभाग द्वारा देय नहीं होगा।
14. आपूर्ति की गई मशीन की सफल स्थापना पर सफल निविदादाता द्वारा संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित इंस्टालेशन रिपोर्ट जमा करें।
15. सफल बोलीदाता, स्थापना के दौरान, सरकारी परिसर/संपत्ति कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा, अन्यथा वह उसे मूल स्थिति में पुनर्स्थापित अपनी लागत पर करेगा।
16. सप्लाई/इंस्टालेशन संतोषप्रद होने के उपरान्त ही भुगतान देय होगा।
17. किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर जिम्मेदार नहीं होगा।
18. उक्त शर्तों के अतिरिक्त **RTPP** नियम 2013 की शर्तें भी लागू होंगी।

राजस्थान  
निदेशक 4.6.2024

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,  
जयपुर।

क्रमांक: एफ 9(223)/रालसा/स्टोर/2024-25/4751-54  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक: 04.06.24

1. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।
2. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाइट।
3. संबंधित पत्रावली।
4. मैसर्स.....।

राजस्थान  
04/06/24  
उप सचिव-प्रथम

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,  
जयपुर।